न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार मेघवाल, आई.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 44/2020 ई.रे. दिनांक 16.02.2026

1. कंकु बाई पुत्री उंकार पत्नि रामलाल मेघवाल नि. भूरकिया कलां हाल. विनायका तह.बडीसादडी
2. मांगीबाई पुत्री उंकार पत्नि नारायण मेघवाल नि. भूरकिया कलां तह.बडीसादडी

– प्रार्थीगण

बनाम

1– रामा पिता उंकार मेघवाल नि. भूरकिया कलां तह.बडीसादडी
2–राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार व उपपंजीयक बडीसादडी

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री एन.डी. जोशी वकील प्रार्थीगण
श्री जी.एस. झाला वकील विपक्षी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण की और से प्रार्थनापत्र निम्नानुसार पेश है:–

1– वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 ,53, 188 आर.टी.एक्ट का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से निश्चित ही वादीयागण के पक्ष में निर्णित होगा ।

2– खाता संख्या नया 214 खाता जिसके पुराने नम्बर 141 की आ.न. 415 रकबा 0.0800 है.बीड, लगानी 0. 56पैसा, आ.नं. 671/409 रकबा 0.7200 है. चाही, लगानी 18.72 पैसा, आ.नं. 672/410 रकबा 0.0800 है. लगानी 0.16 पैसा कुल किता 3 कुल रकबा 0.8800 है., लगानी 19.44 रूपया वाके मौजा भूरकिया कलां पटवार हलका विनायका तह. बडीसादडी में स्थित है ।

3– प्रार्थिगण का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है:–

आराजीयात पुश्तैनी पैत्रीक सम्पति की होकर उंकार जी के समय से चली आ रही है। उंकार जी की मृत्यू हो चुकी है उंकार जी की पत्नि की भी मृत्यू हो चुकी है। उंकार जी के वारीस उसका पुत्र रामा एवं पुत्रियां मांगीबाई, झमकुबाई, कंकुबाई है।

4– प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात पुश्तैनी पैत्रीक सम्पति की होकर उंकार जी के समय से चली आ रही है। उंकार जी की मृत्यू हो चुकी है उंकार जी की पत्नि की भी मृत्यू हो चुकी है। उंकार जी के वारीस उसका पुत्र रामा एवं पुत्रियां मांगीबाई, झमकुबाई, कंकुबाई है। उंकार जी की मृत्यू के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों ने सम्पूर्ण आराजीयात का विरासत का नामांतरण मृत के पत्र राम जी के नाम पर खोल दिया जबकि हिन्दु उतराधिकार के अनुसार उंकारजी की पुत्रियां मांगीबाई, झमकुबाई, कंकुबाई का भी वादग्रस्त आराजीयात में हक हिस्सा है। तथा उक्त दोनों माता पिता की मृत्यू हो जाने से तथा प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलिभगत कर उंकारजी की सम्पूर्ण आराजीयात विरासत से अपने नाम दर्ज रिकार्ड करवाली। जबकि वादग्रस्त आराजीयात मे प्रत्येक भाई–बहिन का 1/4–1/4 हिस्सा वादीगण तथा

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम दर्ज होना था वादीयागण अपना 1/4–1/4 हक हिस्सा अपने खातेदारी में घोषणा कराने की अधिकारी है।

5– पार्थना पत्र की चरण सख्या 2 में वर्णित आराजियात में शामलाती 1/4–1/4 हक हिस्सा वादीयागण का है। तथा इसी हिस्सेनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण मोके पर काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है इसलिए वादग्रस्त आराजीयात उपरोक्त हिस्सेनुसार व कब्जेनुसार विभाजन कराया जावें व कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादीया का 1/4–1/4 हक हिस्सा घोषित कराया जाकर वादीयागण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जावे।

6– वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात पुश्तैनी पैत्रिक सम्पति की होकर वादीयागण व प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता के खातेदारी की थी तथा वादीयागण उंकारजी की पुत्रियां है तथा वादीयागण व प्रतिवादी कमांक 1 व 2 वादग्रस्त आराजीयात के 1/4–1/4 हक हिस्सा हिस्से पर संयुक्त रूपसे काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है प्रतिवादी नम्बर 1 वादग्रस्त आराजीयात का अपने नाम पर होने का नाजायज फायदा उठाकर आराजीयात को रहन बय बक्षीश कर हस्तांतरित करने पर आमादा है तथा वादीयागण को उनके कब्जे से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए वादीयागण के द्वारा बोई गई फसल को नष्ट करने पर आमादा है इसलिए प्रतिवादी कमांक 1 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें की वे वादग्रस्त आराजीयात को रहन बय बक्षीश कर हस्तांतरित नही करे न करावें न बेदखल करे न करावें तथ वादीयागण को शांतिपूर्वक काबिज रहने दें।

7– प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अगर प्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड में अपने पिता की पैत्रिक सम्पति में अपना हक हिस्सा नही मिला व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम दर्ज नही हुआ तो प्रार्थिया को ऐसी हानि होगी जिसकी पूर्ति अन्य किसी भी प्रकार से संभव नही है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः निवेदन है कि विपक्षीगण को जरीये निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावें की वह वादपत्र के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को रहन बय बक्षीश कर हस्तांतरित न करे न करावें तथा प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काबीज रहने देवे व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

उपरोक्त प्रकरण में विपक्षी रामा पिता उंकार जी जाति मेघवाल नि.भूरकिया कलां तह.बडीसादडी की ओर से जवाब निम्न प्रकार हैः–

1– प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर एक में वर्णित तथ्य में प्रार्थिगण के द्वारा एक वाद विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत करने के तथ्य सही होकर स्वीकार है उक्त वाद मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत होने से निश्चित ही विपक्षीगण के पक्ष में निर्णित होगा।

2– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य में मोजा भूरकिया कलां प.म. विनायका तह.बडीसादडी में नया खाता 214 पुरानी 141 की आराजी संख्या 415, 671/406, 672/40 कुल किता 3 रकबा 0.88है. स्थित हाने के तथ्य सही स्वीकार है। उक्त आराजी तनहा विपक्षी कमांक 1 के कब्जेयाबी व खातेदारी की होकर वह उस पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

3– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य में सजरा सही होकर स्वीकार है। उंकारजी के तीन पुत्रियां व एक पुत्र होने के तथ्य सही होकर स्वीकार है।

4– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है। उक्त आराजीयात विपक्षी कमांक 1 अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की होकर दोनों के मध्य विभाजन होकर विभाजन के बाद विपक्षी अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उसका उपयोगा उपभोग कर रहा है। तथा जो नामांतरण खोला यगा उसकी जानकारी भी प्रार्थीगण होकर उनके द्वारा कभी उक्त नामातंरण को लेकर एतराज दर्ज नही कराया गया तथा उनकी सहमती से ही उक्त नामातंरण की कार्यवाही हुई है तथा प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा नहीं होकर न तो उनका कब्जा है ना ही उनके खातेदारी में है। तथा प्रार्थीगण का कोई 1/4, 1/4 हक हिस्सा नही बनता है तथा प्रार्थीया किसी प्रकार की घोषणा कराने की अधिकारी नहीं है।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

5– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5, में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है प्रार्थीगण का कोई सामलाती हक हिस्सा नही है। तथा ना ही उनका कब्जा है तथा प्रार्थीगण किसी प्रकार का विभाजन कराने की अधिकारीणी नही हैं ना ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की अधिकारी है।
6– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 मे वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है उक्त आराजीयात विपक्षी कमांक 1 की तनहा स्वामित्व व कब्जेयाबी की होकर वी उस पर काबिज है तथा उक्त आराजीयात पुश्तैनी नही होकर प्रार्थीगण अपने दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करें तथा प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात के एक इंच भुभाग पर कब्जा नही होकर उनको बेंदखल करने का कोई प्रश्न ही नही उठता है। तथा प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है।
7– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही होकर सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को नही होकर विपक्षी कमांक 1 रिकार्डेड खातेदार होकर वह उक्त आराजी पर तनहा काबिज है तथा अगर उसे पाबंद किया जाता है तो उसको अपूरणीय क्षति होगी।
अतःजवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के केवल विपक्षी को नाजायज परेशान करने की नियत से प्रस्तुत होने से सव्यय खारीज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–
1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>
पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजीयात पैत्रक पुश्तैनी है । प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में अपने पिता की पैत्रिक सम्पति में अपना हक हिस्सा नही मिला व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही हुआ तो प्रार्थिगण को ऐसी हानि होगी जिसकी पूर्ति अन्य किसी भी प्रकार से संभव नही है। जिस कारण अप्रार्थी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है । विपक्षी प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>
वादग्रस्त आराजीयात पैत्रक पुश्तैनी है । प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहे है।

–:आदेशः–

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि कि वादग्रस्त आराजीयात पैत्रक पुश्तैनी है । प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में अपने पिता की पैत्रिक सम्पति में अपना हक हिस्सा नही मिला व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही हुआ तो प्रार्थिगण को ऐसी हानि होगी जिसकी पूर्ति अन्य किसी भी प्रकार से संभव नही है। जिस कारण अप्रार्थी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है । प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करना

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 (प्र.सं. 44/2020) आर.टी.एक्ट. को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 20.10.2020 के अनुसार विपक्षीगण मौजा भूरकिया कलां पटवार हल्का विनायका की आराजी नं. 415, 671/409, 672/410 कुल किता 3 कुल रकबा 0.8800 हैक्ट. पर राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे । इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है ।

यह आदेश आज दिनांक 16.02.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी